

*स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल

Private Collection

// आवेदन //

भोपाल दिनांक 6-6-18

क्रमांक एक 44-11/2016/20-2: प्रदेश के मान्यता प्राप्त डी.एल.एड. (द्विवर्धीय) पाठ्यक्रम संचालित करने वाली अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए सुल्क फत निर्धारित करने हेतु दिनांक 25.05.2018 वो प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा की अधिकारता में आयोजित बैठक की उन्नति सानुसार राज्य शासन एवं द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों के लिए वर्ष 2018-19 में निर्धारित शुल्क पुर्वानुसार निम्नवत निर्धारित करता है।

क्र.	क्रेपी	निर्धारित शुल्क
1.	भोपाल, इन्दौर, खालियर एवं जबलपुर में स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु 35,000/- प्रति छात्र, प्रतिवर्ष
2.	उक्त शाही के अतिरिक्त अन्य नगर निगम घाले मुख्यालयों में स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु 32,500/- प्रति छात्र, प्रतिवर्ष
3.	भेद स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु 30,000/- प्रति छात्र, प्रतिवर्ष

उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क पृथक से देय होगा। डी.एल.एड. (द्विवर्धीय) पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क प्रतिवर्षानुसार ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के साज्दपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कलावती लहके)

अधिकारी सचिव

मप्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 6-6-18

क्रमांक एक 44-11/2016/20-2

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान. नंदी/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मप्र. भोपाल
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मप्र. भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मप्र. शासन, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. आयुक्त, लोक शिक्षण/आदिवासी विकास विभाग, मप्र. भोपाल
5. संचालक, राज्य शिल्प केन्द्र, मप्र. भोपाल
6. सचिव, मप्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
9. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी. ऑफिसाईन लिमिटेड, भोपाल
10. समस्त संघागीय संसुक्त संचालक, लोक शिक्षण/उपायुक्त, आदिवासी विकास, मप्र.
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/संसाधक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश
12. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मप्र.
की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यपाली हेतु।

(अधिकारी सचिव
मप्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

उल्लेखनीय मुल्क:-